

संख्या- 6/एफ1-308/2015 श्र0सं0-

129

आवंटनादेश

बिहार सरकार,

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

मो० सलीम,

श्रम आयुक्त, बिहार ।

सेवा में,

श्रमायुक्त के सचिव, पटना ।

पटना, दिनांक:- 30.3.16

विषय:- व्यय शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01 श्रम-101-औद्योगिक संबंध-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0108-श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तनत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-पी 2230011010108) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1125 दि.-30.03.16 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में 31 मार्च, 2016 तक व्यय के निमित्त श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तनत्र का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत, दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान की स्थापना हेतु मुख्य निर्माण कार्य इकाई (53-01) में ₹ 20,00,00,000/- (₹ बीस करोड़) मात्र का आवंटन श्रमायुक्त के सचिव, पटना को किया जाता है ।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-295/वि० दिनांक-24.03.15, 5294 वि० दि.-17.06.15, 354/वि० दि.-15.03.16 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा।
4. यह आवंटन योजना मद से संबंधित है ।
5. यह आवंटन तृतीय अनुपूरक के माध्यम से प्राप्त अतिविक्रित राशि के आलोक में है।
6. श्रमायुक्त के सचिव इस राशि को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेगें ।
7. इस आवंटनादेश के आलोक में पूर्व में निर्गत आवंटनादेश संख्या-127 दि.-28.03.16 को रद्द माना जायेगा।

विश्वासभाजन

(मो० सलीम)

श्रम आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:- 6/एफ1-308/2015 श्र0सं0:-

129

पटना, दिनांक

30.3.16

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(मो० सलीम)

श्रम आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:- 6/एफ1-308/2015 श्र0सं0:-

129

पटना, दिनांक

30.3.16

प्रतिलिपि-सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/ जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन कोषागार, नया सचिवालय, पटना/ आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-2(सरकार पक्ष)/लेखा शाखा(श्रम पक्ष)/ प्रशाखा-4 (श्रम पक्ष)/ प्रशाखा-6 (श्रम पक्ष), को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।